न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 447/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1– गिरधरसिह पुत्र कानसिह 2– मोहनसिह पुत्र खीवसिह 3– भंवरसिह पुत्र खींवसिह 4– जेठूसिह पुत्र खींवसिह 5– भगवानसिह पुत्र खींवसिह 6– दुर्गसिह पुत्र खींवसिह जातियान राजपूत निवासीगण जैमला तहसील बाप जिला जोधपुर		1– पांचाराम पुत्र डूंगरराम 2– हीराराम पुत्र डूंगरराम 3– सोनाराम पुत्र डूंगरराम 4– लादूराम पुत्र डूंगरराम जातियान जाट निवासीगण हरढाणी, तहसील बावडी जिला जोधपुर 5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बाप जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 55/2018 मे दिनांक 12–6–2018 को पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री सिद्धार्थ परिहार अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री सांगाराम चौधरी अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 से 4 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 1–2–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पो0 संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट का प्रस्तुत कर कथन किया कि सरहद मौजा दीपनगर पटवार क्षेत्र शेखासर स्थित खसरा नंबर 197/1 रकबा 50 बीघा भूमि प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 2 से 4 के सामलाती खातेदारी की कब्जा सुदा है । प्रार्थी ने उक्त भूमि की पैमाईश करवाने हेतु तहसीलदार बाप को नियमानुसार आवेदन पत्र पेश करने पर पटवारी हल्का ने दिनांक 13–2–2018 को उक्त भूमि की मौके पर चलकर आस–पडौसियो की उपस्थिति मे सीमाज्ञान करवाया और मौका फर्द तैयार कर तहसीलदार कार्यालय मे पेश की तथा उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 13–2–2018 अनुसार अपने खातेदारी के खसरा नंबर 197/1 रकबा 50 बीघा भूमि की पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया । अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र मे केवल उक्त खसरा नंबर 197/1 के सहखातेदारो को ही पक्षकार बनाया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप केम्प शेखासर ने राजस्व लोक अदालत–2008 मे अपीलाधीन आदेश दिनांक 12–6–2018 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए ग्राम दीपनगर क्षेत्र शेखासर तहसील बाप के खेत खसरा नंबर 197/1 रकबा 50 बीघा भूमि की पैमाईश फर्द दिनांक 13–2–2018 के अनुसार उक्त भूमि की पैमाईश पडौसी खातेदारो को सूचित करते हुए किये जाने का आदेश पारित किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलांटगण ने वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

अति० सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे केवल अपने खातेदारी के खसरा नंबर 197/1 के सहखातेदारो को ही पक्षकार बनाया अन्य पडौसी खातेदार को पक्षकार बनाये बिना प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार करने मे विधिक भूल की है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि मेरे खातेदारी के खसरा नंबर 215 है जो कि रेस्पो0 के खसरा नंबर 197/1 की सीमा से लगता हुआ है तथा मौके पर कोई सीमा चिन्ह अथवा माठ नही है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने बाबत जो आदेश पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि खसरा नंबर 197 के बहुत सह खातेदार है तथा नक्शे मे सभी के हिस्से बाबत कोई तरमीम नही है इसलिए सम्पूर्ण खसरे की तरमीम करवाये बिना रेस्पो0 का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नही था इसके अलावा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत किये गये प्रार्थना पत्र मे न तो खसरा नंबर 215 के खातेदारो को पक्षकार बनाया गया एवं न ही खसरा नंबर 197 के सह खातेदारो को पक्षकार बनाया जबकि विधिवत पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र पर पडौसी सभी खातेदारो को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, जो निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश मे जिस पैमाईश रिपोर्ट का उल्लेख किया गया है, वह पैमाईश रिपोर्ट पडौसी खातेदारो एवं अपीलांट को सूचित किये बिना एकतरफा तैयार की गई है तथा उक्त पैमाईश रिपोर्ट मे कोई नक्शा नही बनाया गया है इसलिए ऐसी त्रुटिपूर्ण पैमाईश रिपोर्ट का कोई कानूनन महत्व नही होने से ऐसी एकतरफा रिपोर्ट के आधार पर पत्थरगढी बाबत पारित किया गया आदेश निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

रेस्पों0 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए कथन किया कि हमने हमारे सह खातेदारी के खेत खसरा नंबर 197/1 रकबा 50 बीघा भूमि की पैमाईश करवाने हेतु तहसीलदार बाप को नियमानुसार आवेदन पत्र पेश करने पर पटवारी हल्का ने दिनांक 13–2–2018 को उक्त भूमि की मौके पर चलकर आस–पडौसियो की उपस्थिति मे सीमाज्ञान करवाया और मौका फर्द तैयार कर तहसीलदार कार्यालय मे पेश की तथा उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 13–2–2018 अनुसार अधीनस्थ न्यायालय मे अपने खातेदारी के खसरा नंबर 197/1 रकबा 50 बीघा भूमि की पत्थरगढी करवाने का निवेदन किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय ने विधिवत निर्णय पारित किया था जिसकी पालना मे तहसीलदार बाप के आदेश से गठित टीम ने मौके पर दिनांक 6–8–2018 को मौके पर पुलिस जाब्ता एवं मौतबिरानो के रूबरू पत्थरगढी की कार्यवाही सम्पन्न कर दी

है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील निष्प्रभावी हो चुकी है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने यह भी कथन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा पारित निर्णय दिनांक 12–6–2018 के विरूद्ध दिनांक 5–11–2018 को लगभग 145 दिन विलंब से अपील पेश की है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील मयाद के बिन्दु पर ही खारीज योग्य है ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की पालना मे मौके पर पत्थरगढी के लिए गठित टीम द्वारा की गई पत्थरगढी की कार्यवाही से अपीलांट की भूमि मे किसी प्रकार की छेडकानी नही की गई है और न ही अपीलांट प्रभावित नही है इसलिए अपीलांट की अपील मयाद एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध पत्रादि/दस्तावेजात का अवलोकन किया एवं बहस के दौरान पक्षकारो के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज आदि का भी अध्ययन किया । वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे केवल अपने खातेदारी के खसरा नंबर 197/1 के सह खातेदारो कमशः हीराराम, सोनाराम एवं लादूदाम पि0 डूंगरराम को ही पक्षकार बनाया अन्य पडौसी खातेदार को पक्षकार नही बनाया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध नक्शा ट्रेस के अवलोकन से यह प्रकट है कि रेस्पो0 के खसरा नंबर 197/1 की सीमा अन्य खसरा नंबर 215, 214 एवं 206 से लगता हुआ है परंतु उक्त खसरा नंबर के किसी भी खातेदार को पक्षकार बनाये बिना अधीनस्थ न्यायालय मे पत्थरगढी का प्रार्थना पत्र पेश किया तथा अधीनस्थ न्यायालय ने भी इस कानूनी प्रावधान पर गौर किये बिना पत्थरगढी का आदेश पारित कर दिया, जबकि धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत होने वाले प्रार्थना पत्रो मे पहले सीमाज्ञान रिपोर्ट पडौसी खातेदारो की उपस्थिति मे तैयार करने के बाद निर्विवादित सीमाज्ञान रिपोर्ट के आधार पर पडौसी खातेदार को पक्षकार बनाया जाकर सुनवाई का अवसर दिया जाने के बाद ही पत्थरगढी का आदेश पारित किया जाने का प्रावधान है जबकि वर्तमान मामले मे अधीनस्थ न्यायालय ने जिस सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 13–2–2018 के अनुसार पत्थरगढी का आदेश पारित किया है उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है जिस पर पडौसी खातेदार अपीलांटगण किसी के हस्ताक्षर या अंगुठा निशान नही है अथार्त उक्त सीमाज्ञान रिपोर्ट भी त्रुटिपूर्ण है । हालांकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय मे पडौसी खातेदारो को सूचित करते हुए पत्थरगढी करने के आदेश तहसीलदार बाप को पारित किये है परंतु पत्थरगढी से पूर्व निर्विवादित सीमाज्ञान रिपोर्ट रेकर्ड पर उपलब्ध होना आवश्यक है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय समर्थन योग्य नही माना जा सकता है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांटगण द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाप द्वारा पारित किया

गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 12–6–2018 निरस्त कर प्रकरण पुनः अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर रेस्पो0 के खातेदारी के खसरा नंबर के पडौसी खातेदारो एवं अपीलांट की उपस्थिति मे पहले सीमाज्ञान करवाकर सीमाज्ञान रिपोर्ट रेकर्ड पर लेवे तथा निर्विवादित सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद पुनः पत्थरगढी बाबत विधिसम्मत कार्यवाही सम्पन्न कर नये सिरे से आदेश पारित करे।

निर्णय आज दिनांक 1–2–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर